संख्या /XXXVIII/13–47/2007

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद,
झाझरा, बालाजी मंन्दिर के निकट
देहरादून। 248007

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

देहरादूनः दिनांक 02 जनवरी/दिसम्बर, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 के आयोजनागत पक्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 284/XXVII (1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, के अन्तर्गत विज्ञान धाम की स्थापना हेतु अनुदान संख्या–23 में व्यवस्थित धनराशि में से संलग्न विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में रू0 60,00000/– **(रूपये साठ लाख मात्र)** की धनराशि को संलग्न अलोटमेन्ट आई0डी0–H1310231327 के अनुसार उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिनकी निम्नलिखित शर्तें होंगीः–

1– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक–3425 विज्ञान धाम की स्थापना हेतु सहायता मानक मदों के नाम डाला जायेगा। बजट प्राविधान की धनराशि प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध कराई गई है कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।

2– व्यय में मितव्ययता को रोका जाना नितान्त आवश्यक है, अतः मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। लेखानुदान के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से कोई योजना अथवा नए निर्माण कार्य पर व्यय कदापि न किया जाए तथा केवल चालू योजनाओं/निर्माण कार्यों पर ही धनराशि व्यय की जाए।

3– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे मद में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुवल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन हो अर्थात आवंटित धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज रूल एवं मित्तव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा। उक्त आदेशों का अनुपालन न होने की दशा में आहरण–वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें।

4–माह में किए गए कार्यों का प्रमाण पत्र/प्रगति विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए एवं वर्षान्त पर सम्पूर्ण आवंटित धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किए गए कार्यों एवं वार्षिक प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाएगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जाएगा।

5– स्वीकृत धनराशि के बिल जिलाधिकारी देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार से आहरित किये जाय, तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2014 तक करते हुए प्रत्येक माह का बी0एम0–13 शासन को उपलब्ध कराया जायगा।

6–उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 668/XXVII (1)/2013 दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– अलोटमेन्ट आई0डी0– H1310231327

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या 542 (1)/XXXVIII/13–47/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त अनुभाग–5
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।